"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366] रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 जुलाई 2023 — श्रावण 4, शक 1945

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 जुलाई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–46/2019/वा.क.(पं.)/पांच(28).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2019 के अंतर्गत उद्योगों के पुर्नसंचालन तथा पुनर्वास हेतु, किसी बंद/बीमार घोषित औद्योगिक इकाई को, अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा क्रय संबंधी निष्पादित विलेखों पर, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु,–

1. बंद/बीमार उद्योगों के पुनर्वास हेतु, पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट उद्योगों (संलग्न परिशिष्ट–'एक' में दर्शाये गये अपात्र उद्योगों को छोड़कर) के लिए स्टाम्प शुल्क से छूट प्रभावशील होगी।

2. बंद/बीमार उद्योग को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा क्रय किये जाने पर, प्रतिस्थापन/शवलीकरण विस्तार की स्थिति में छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2019 के प्रावधानों के तहत ही स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की जायेगी।

3. सूक्ष्म एवं लघु, बंद/बीमार उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य–महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा जारी किया गया छूट प्रमाणपत्र तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग अथवा इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया छूट प्रमाणपत्र, स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये स्वीकार किया जायेगा।

4. पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसे कार्यालयीन रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा।

5. छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2019 में उल्लिखित निर्बंधन एवं शर्तों का उल्लंघन होने पर, संबंधित इकाई को स्टाम्प शुल्क से इस प्रकार दी गई छूट, तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा स्टाम्प शुल्क से छूट की राशि की वसूली, भू–राजस्व की बकाया की तरह, ऐसी छूट की तारीख से साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, उद्योग विभाग के समन्वय से, की जायेगी।

6. ऐसे दस्तावेजों, जिनमें संबंधित पक्षकारों द्वारा, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व, स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, उन्हें छूट प्रदान नहीं किया जायेगा।

उक्त अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 31 अक्टूबर, 2024 तक प्रभावशील रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, सचिव.

परिशिष्ट–'एक'

(छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2019 में उल्लेखित अपात्र उद्योगों की सूची, जिन्हें छूट की पात्रता नहीं है)

1. भारत सरकार/राज्य शासन/राज्य शासन की किसी एजेंसी द्वारा किसी क्षेत्र विशेष हेतु निषेधित उद्योग।
2. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा घोषित, निषेधित उद्योग।
3. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा घोषित, काली सूची में डाले गये उद्योग।
4. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्थापित उपक्रम।
5. पान मसाला, गुटका, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग ।
6. एल्कोहल, एल्कोहल डिस्टलरी पर आधारित बेवरेजेस ।
7. फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग ।
8. स्टोन क्रेशर ।
9. लेदर टैनरी।
10. स्लाटर हाऊस (बूचड़ खाना) ।
11. कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)।
12. समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राइंडिंग/पलवराइजिंग ।
13. अन्य उद्योग, जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निषेधित घोषित किये जाएं।

अटल नगर, दिनांक 21 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 10–46/2019/वा.क.(पं.)/पांच(28).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–46/2019/वा.क.(पं.)/पांच(28) दिनांक 21 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, सचिव.

Atal Nagar, the 21st July 2023

NOTIFICATION

No. F 10-46/2019/CT(R)/V(28).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government, hereby, remits the Closed/sick declared industrial unit, from the stamp duty chargeable on instruments executed relating to purchase by other industrialist/firm/company by another industrialist/firm/company for re-operation and rehabilitation of industries under the Chhattisgarh Closed/Sick Industries Special Incentive Policy, 2019.

Explanations: for the purpose of this notification,-

1. Remission from Stamp duty shall effective for all eligible micro and small, medium, large industries, mega project and ultra mega project industries (except the ineligible industries shown in the attached Appendix-'I') for the rehabilitation of Closed/Sick Industries.
2. When Closed/Sick Industries is purchased by other Industrialist/Firm/ Company, Remission from Stamp duty shall only be provided under provision of the Chhattisgarh Closed/Sick Industries Special Incentive Policy, 2019 in case of diversification/expansion of existing.
3. The exemption certificate issued by Chief-General Manager/General Manager of concerned District Trade and Industry Center in cases of micro and small, Closed/sick industries and in cases other than micro and small scale industries, the exemption certificate issued by the Commissioner of Industries/Director of Industries or the officer so authorized, will be accepted for exemption from stamp duty.
4. Original certificates to be presented along with the documents submitted for registration, and shall be made part of the office record.
5. The remission from stamp duty so granted to the concerned unit shall become ineffective immediately on breach of the terms and conditions mentioned in the Chhattisgarh Closed/Sick Industries Special Incentive Policy, 2019 and the amount of remission from stamp duty shall be recovered as arrears of land revenue, along with an interest at the rate of twelve and a half percent from the date of such remission, with the co-ordination of the Industries Department.
6. No remission shall be granted on such documents wherein concerning party has paid the stamp duty prior to the date of publication of this notification in the Gazette.

The said notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette and shall be effective till 31 October 2024.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YASHWANT KUMAR, Secretary.

APPENDIX-'A'

List of ineligible industries, which are not eligible for exemption as mentioned in the Chhattisgarh Closed/Sick Industries Special Incentive Policy, 2019

1. Prohibited industries for a particular area by the Government of India / State Government / any agency of the State Government.
2. Prohibited industries, declared by the Government of India / State Government.
3. Blacklisted Industries, declared by Government of India/State Government.
4. Enterprise established by Government of India/State Government.
5. Industries based on Pan Masala, Gutka, Supari and Tobacco .
6. Beverages based on Alcohol and alcohol Distillery.
7. Industries related to crackers, matches and fireworks.
8. Stone crusher.
9. Leather Tannery.

10. Slaughter House.
11. Coal and coke briquettes, coal screening (except coal washery).
12. Crushing/grinding/pulverizing of all minerals.
13. Other industries which may be declared prohibited by the State Government from time to time.

अटल नगर, दिनांक 21 जुलाई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–46/2019/वा.क.(पं.)/पांच(29).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ 3–53/2020/वा.क.(पं)/पांच (19), दिनांक 4 फरवरी, 2022 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

शीर्षक ''पंजीयन शुल्क की सारणी'' के उप–शीर्षक ''छूट तथा निर्बन्धन'' के सरल क्रमांक (64) के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक (65) जोड़ा जाये, अर्थात् :–

''(65) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2019 के अंतर्गत उद्योगों के पुर्नसंचालन तथा पुनर्वास हेतु, किसी बंद/बीमार घोषित औद्योगिक इकाई को, अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा क्रय संबंधी निष्पादित विलेखों पर, प्रभार्य पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु,–

1. बंद/बीमार उद्योगों के पुनर्वास हेतु, पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट उद्योगों (संलग्न परिशिष्ट–'एक' में दर्शाये गये अपात्र उद्योगों को छोड़कर) के लिए पंजीयन शुल्क से छूट प्रभावशील होगी।
2. बंद/बीमार उद्योग को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा क्रय किये जाने पर, प्रतिस्थापन/शवलीकरण विस्तार की स्थिति में छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2019 के प्रावधानों के तहत ही पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान की जायेगी।
3. सूक्ष्म एवं लघु, बंद/बीमार उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य–महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा जारी किया गया छूट प्रमाणपत्र तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग अथवा इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया छूट प्रमाणपत्र, पंजीयन शुल्क से छूट के लिये स्वीकार किया जायेगा।
4. पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसे कार्यालयीन रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा।
5. छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2019 में उल्लिखित निर्बंधन एवं शर्तों का उल्लंघन होने पर, संबंधित इकाई को पंजीयन शुल्क से इस प्रकार दी गई छूट, तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा पंजीयन शुल्क से छूट की राशि की वसूली, भू–राजस्व की बकाया की तरह, ऐसी छूट की तारीख से साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, उद्योग विभाग के समन्वय से, की जायेगी।
6. ऐसे दस्तावेजों, जिनमें संबंधित पक्षकारों द्वारा, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व, पंजीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, उन्हें छूट प्रदान नहीं किया जायेगा।

उक्त अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 31 अक्टूबर, 2024 तक प्रभावशील रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, सचिव.

परिशिष्ट–'एक'

(छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2019 में उल्लेखित
अपात्र उद्योगों की सूची, जिन्हें छूट की पात्रता नहीं है)

1. भारत सरकार/राज्य शासन/राज्य शासन की किसी एजेंसी द्वारा किसी क्षेत्र विशेष हेतु निषेधित उद्योग।
2. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा घोषित, निषेधित उद्योग।
3. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा घोषित, काली सूची में डाले गये उद्योग।
4. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्थापित उपक्रम।
5. पान मसाला, गुटका, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग ।
6. एल्कोहल, एल्कोहल डिस्टलरी पर आधारित बेवरेजेस ।
7. फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग ।
8. स्टोन क्रेशर ।
9. लेदर टैनरी।
10. स्लाटर हाऊस (बूचड़ खाना) ।
11. कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)।
12. समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राइंडिंग/पलवराइजिंग ।
13. अन्य उद्योग, जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निषेधित घोषित किये जाएं।

अटल नगर, दिनांक 21 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 10–46/2019/वा.क.(पं)/पांच(29).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–46/2019/वा.क.(पं.)/पांच(29) दिनांक 21 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, सचिव.

Atal Nagar, the 21st July 2023

NOTIFICATION

No. F 10-46/2019/CT(R)/V(29).— In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. F 3-53/2020/CT(R)/V(19), dated 4th February, 2022, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

In sub-head "exemption and restriction" of Heading “Table of registration fees”, after serial number (64), the following serial number (65) shall be added, namely:-

“(65) Remits the Closed/sick declared industrial unit, from the registration fees chargeable on instruments executed relating to purchase by other industrialist/firm/company by another industrialist/firm/company for re-operation and rehabilitation of industries under the Chhattisgarh Closed/Sick Industries Special Incentive Policy, 2019

Explanations: for the purpose of this notification,-

1. Remission from registration fees shall effective for all eligible micro and small, medium, large industries, mega project and ultra mega project industries (except the ineligible industries shown in the attached Appendix-'I') for the rehabilitation of Closed/Sick Industries.
2. When Closed/Sick Industries is purchased by other Industrialist Firm /Company, Remission from registration fees shall only be provided under provision of the Chhattisgarh Closed/Sick Industries Special Incentive Policy, 2019 in case of diversification/expansion of existing.
3. The exemption certificate issued by Chief-General Manager/General Manager of concerned District Trade and Industry Center in cases of micro and small, Closed/sick industries and in cases other than micro and small scale industries, the exemption certificate issued by the Commissioner of Industries/Director of Industries or the officer so authorized, will be accepted for exemption from registration fees.
4. Original certificates to be presented along with the documents submitted for registration, and shall be made part of the office record.
5. The remission from registration fees so granted to the concerned unit shall become ineffective immediately on breach of the terms and conditions mentioned in the Chhattisgarh Closed/Sick Industries Special Incentive Policy, 2019 and the amount of remission from registration fees shall be recovered as arrears of land revenue, along with an interest at the rate of twelve and a half percent from the date of such remission, with the co-ordination of the Industries Department.
6. No remission shall be granted on such documents wherein concerning party has paid the registration fees prior to the date of publication of this notification in the Gazette.

The said notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette and shall be effective till 31 October 2024.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YASHWANT KUMAR, Secretary.

APPENDIX-'A'

List of ineligible industries, which are not eligible for exemption as mentioned in the Chhattisgarh Closed/Sick Industries Special Incentive Policy, 2019

1. Prohibited industries for a particular area by the Government of India / State Government / any agency of the State Government.
2. Prohibited industries, declared by the Government of India / State Government.
3. Blacklisted Industries, declared by Government of India/State Government.
4. Enterprise established by Government of India/State Government.
5. Industries based on Pan Masala, Gutka, Supari and Tobacco .
6. Beverages based on Alcohol and alcohol Distillery.
7. Industries related to crackers, matches and fireworks.
8. Stone crusher.
9. Leather Tannery.
10. Slaughter House.
11. Coal and coke briquettes, coal screening (except coal washery).
12. Crushing/grinding/pulverizing of all minerals.
13. Other industries which may be declared prohibited by the State Government from time to time.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.